IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

सामाजिक अंकेक्षण : पारदर्शिता और जवाबदेही की ओर एक सशक्त पहल

हर्ष राज

असिस्टेंट प्रोफेसर

राजनीति विज्ञान विभाग

सत्यवती महाविद्यालय (सांध्य)

सारांश

विश्वभर में सामाजिक अंकेक्षण को पिछले कुछ दशकों से सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी मूल्यांकन के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में स्वीकार किया गया है। पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा देने की वैश्विक प्रवृत्ति के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण की अवधारणा ने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। इस दिशा में सरकारों द्वारा उठाए गए कदम नागरिक आंदोलनों की सतत मांगों का परिणाम रहे हैं, जिन्होंने शासन व्यवस्था को अधिक उत्तरदायी और सहभागी बनाने की दिशा में लगातार दबाव बनाया। इसके अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर की गई प्रतिबद्धताओं ने भी नीति–निर्माताओं को सामाजिक अंकेक्षण को अपनाने की दिशा में प्रेरित किया है। यह पेपर सामाजिक अंकेक्षण की अवधारणा, सामाजिक अंकेक्षण की प्रकृति, मुख्य विशेषताएं, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और सामाजिक अंकेक्षण करने के चरण का विस्तार से वर्णन किया गया है।

मुख्य शब्दः सामाजिक अंकेक्षण,जवाबदेही,सामाजिक जवाबदेही,जन उत्तरदायित्व।

परिचय

भारत जैसे देशों में अनेक जन आंदोलनों ने यह मांग की कि सरकारें न केवल पारदर्शी ढंग से काम करें, बल्कि अपने निर्णयों और कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी भी बनें। नागरिकों की भागीदारी केवल नीति निर्माण तक सीमित न रहकर, योजनाओं के क्रियान्वयन और मूल्यांकन में भी हो–इस सोच ने लोकतांत्रिक प्रशासन को नई दिशा दी है। यह मांग इसलिए भी प्रासंगिक रही क्योंकि योजनाओं के संचालन में अकुशलता, भ्रष्टाचार की विकेन्द्रीकृत प्रकृति और कुछ हितसाधकों की अत्यधिक दखलंदाजी जैसी समस्याएँ सामने आईं, जो समग्र कल्याणकारी तंत्र को कमजोर कर रही थीं।

लोक सेवक और निर्वाचित जनप्रतिनिधि, जिन पर नागरिकों को बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी होती है, अनेक बार अपने कर्तव्यों से विमुख होते रहे हैं। इसके पीछे अनेक सामाजिक, राजनीतिक और संस्थागत कारण रहे हैं। साथ ही, नीति निर्माण और सेवा आपूर्ति में गैर–प्रत्यक्ष हितधारकों की बढ़ती भूमिका ने जवाबदेही की प्रक्रिया को और अधिक जटिल बना दिया है। ऐसे में, सामाजिक अंकेक्षण जैसे उपकरण प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरीकों से शासन तंत्र की निगरानी करते हैं और जवाबदेही की भावना को सुदृढ़ करते हैं, जिससे कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है (कैग, 2005)।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2000 में अपनाए गए सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों ने भी वैश्विक शासन संरचना में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक भागीदारी को केंद्रीय भूमिका दी। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सुशासन, मानवाधिकारों के प्रति सम्मान और नीति निर्धारण में सभी वर्गों की सहभागिता को अनिवार्य माना गया। भारत सरकार के लिए ''कार्यक्रमों की मजबूत रूपरेखा'' और ''सार्वजनिक सेवाओं की प्रभावी आपूर्ति'' (संयुक्त राष्ट्र, 2015) को डक्ळ–2000 की सफलता के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता के रूप में चिन्हित किया गया।

सामाजिक अंकेक्षण का इतिहास

शब्द ''ऑडिट'' की शुरुआत लैटिन भाषा के शब्द ''ऑडिरे'' से हुई है, जिसका मतलब होता है ''सुनना''। सामाजिक ऑडिट का इतिहास बहुत पुराना है और इसकी शुरुआत प्राचीन रोम से मानी जाती है। उस समय के राजा कुछ लोगों को नियुक्त करते थे जो जनता से सीधे बातचीत करके उनके विचार और सुझाव इकट्ठा करते थे। ये लोग यह पता लगाते थे कि सरकार की योजनाएं और कामकाज लोगों तक सही तरीके से पहुँच रहे हैं या नहीं। राजा इन जानकारियों के आधार पर नीतियों में बदलाव करते थे ताकि आम लोगों को ज़्यादा लाभ मिल सके। इस तरह से आम जनता की राय शासन व्यवस्था में शामिल होती थी। 'सामाजिक अंकेक्षण ' में 'सामाजिक' शब्द का मतलब है – लोग, यानी वे सभी जिन पर इन योजनाओं का असर पड़ता है। यही लोग इस प्रक्रिया में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं।

थियोडोर क्रेप्स, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, ने 1930 के दशक में 'सामाजिक अंकेक्षण' शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया। उन्होंने यह शब्द अपने विषय ''व्यवसाय और सामाजिक कल्याण'' में इस्तेमाल किया था। उनका मानना था कि कंपनियों के कामकाज का मूल्यांकन समाज के लोग खुद करें, ताकि यह देखा जा सके कि वे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं या नहीं।

बाद में, 1962 में उन्होंने कहा कि अरस्तू ने भी इसी तरह की सोच रखी थी। उन्होंने अरस्तू को यह कहते हुए उद्धृत किया कि ष्पैसा कमाना और वस्तुएँ बनाना कृ दोनों में फर्क है, और इसी से यह पता चलता है कि कोई आर्थिक व्यवस्था समाज के लिए कितनी उपयोगी है।

1950 के दशक में ब्रिटेन के विचारक जॉर्ज गोयडर ने भी ''सामाजिक अंकेक्षण'' शब्द का इस्तेमाल किया। फिर 1953 में अमेरिका के अर्थशास्त्री हावर्ड आर. बोएन ने इसे अपने लेख **सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ़ बिजनेसमैन** में उपयोग किया। उन्होंने इसे एक ऐसी प्रक्रिया बताया जिसमें कंपनियाँ खुद अपने सामाजिक व्यवहारों की समीक्षा करती हैं जैसे कि वेतन और मूल्य नीति, कर्मचारियों से व्यवहार, समाज से संबंध और जनसंपर्क आदि। उनका उद्देश्य था कि कंपनियाँ समाज के नजरिए से सोचें और उसी अनुसार काम करें।

आधुनिक सामाजिक अंकेक्षण की शुरुआत 1970–72 में चार्ल्स मेडावर ने की थी। उन्होंने इसे दवाओं की नीति, उनकी सुरक्षा और सरकार व कंपनियों की जवाबदेही से जोड़ा। उनके अनुसार, लोकतंत्र में जो लोग फैसले लेते हैं, उन्हें जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए और अपने अधिकारों का इस्तेमाल लोगों की जानकारी और सहमति से करना चाहिए।

भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (टिस्को), जमशेदपुर ने सबसे पहले 1979 में अपनी सामाजिक प्रदर्शन को मापने के लिए सामाजिक अंकेक्षण की थी। मजदूर किसान शक्ति संगठन ने 1990 के शुरुआती वर्षों में सार्वजनिक कार्यों में भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करते हुए सामाजिक अंकेक्षण की अवधारणा की शुरुआत की थी। सामाजिक अंकेक्षण की शुरुआत यहीं से हुई और यह एक लोकप्रिय मूल्यांकन पद्धति बन गई, जिसके माध्यम से सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे सार्वजनिक कार्यक्रमों के दावों की जांच की जाती है। आज सामाजिक अंकेक्षण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) और केंद्र व राज्य सरकारों की कई अन्य योजनाओं का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है।

सामाजिक अंकेक्षण की परिभाषा

सामाजिक अंकेक्षण को अलग–अलग समय पर कई विद्वानों, सामाजिक विचारकों, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थाओं तथा शोधकर्ताओं ने अपने–अपने तरीके से समझाया है। इसकी शुरुआत में जो परिभाषाएं दी गईं, वे अधिकतर कंपनियों और उनके सामाजिक दायित्वों पर केंद्रित थीं।

सन् 1940 में क्रेप्स ने सामाजिक अंकेक्षण को एक ऐसी प्रक्रिया बताया, जो यह जांचती है कि कोई व्यवसाय समाज के प्रति कितना जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि किसी कंपनी का असली मूल्यांकन सिर्फ मुनाफे और नुकसान से नहीं, बल्कि

सरकार द्वारा उसके सामाजिक प्रदर्शन की जांच से होना चाहिए। उनका मकसद था कि व्यवसायों पर समाज का असर बढ़े।

1953 में बोवेन ने भी इस दिशा में योगदान दिया। इसके बाद ब्राउन ने कहा कि सामाजिक अंकेक्षण का मतलब है दृ कंपनी खुद यह जांचे कि वह समाज के लिए क्या कर रही है। इसका मकसद था कि कंपनी के प्रबंधन को समाज की नजर से भी चीजें देखने को मिलें।

(सिजू, 2001) के अनुसार, सामाजिक अंकेक्षण एक तरीका है जिससे कंपनियां यह समझती हैं कि उनके कामों का समाज पर क्या असर हो रहा है और वे अपने सार्वजनिक कर्तव्यों को कितना निभा रही हैं।

(राव, 2001) ने बाउअर और फेन की परिभाषा का हवाला देते हुए बताया कि सामाजिक अंकेक्षण एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसमें कंपनी यह तय करती है कि उसके किन कामों का समाज पर असर होता है और वह इनका मूल्यांकन और रिपोर्ट तैयार करती है।

यह सभी विचार इस बात को स्पष्ट करते हैं कि सामाजिक अंकेक्षण सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं करता, बल्कि यह समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने की एक जरूरी प्रक्रिया है।

व्यवसाय क्षेत्र से अलग, सामाजिक संगठनों के लिए सामाजिक अंकेक्षण की एक साफ और स्पष्ट परिभाषा यह है कि सामाजिक अंकेक्षण एक स्वतंत्र जांच की प्रक्रिया है, जो किसी संगठन द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों का मूल्यांकन करती है कि वे अपने सामाजिक लक्ष्यों को कितना पूरा कर रहे हैं। यह एक ऐसा तरीका है जो संगठन की जवाबदेही तय करता है और उसके कार्यों की गहराई से जांच और विश्लेषण करता है। यह प्रक्रिया संगठन को यह समझने में मदद करती है कि उसकी कल्याणकारी गतिविधियों से समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है। यह एक नियमित और सुव्यवस्थित निगरानी प्रणाली होती है, जिसमें सभी जरूरी हितधारकों की भागीदारी होती है (कैग ,2005 पृष्ठ 9)।

मनरेगा की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, सामाजिक अंकेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें सरकारी रिकॉर्ड देखे जाते हैं और यह जांचा जाता है कि सरकार ने जो खर्च बताया है, वह जमीन पर सच में हुआ है या नहीं)।

मनरेगा की संचालन निर्देशिका (2013) के अनुसार, सामाजिक अंकेक्षण लगातार जनता की निगरानी की प्रक्रिया है। इसमें काम की मात्रा और गुणवत्ता को अलग–अलग चरणों में जांचा जाता है, ताकि पारदर्शिता (खुलापन), लोगों की भागीदारी, विचार–विमर्श और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके (पृ, 113)।

सामाजिक अंकेक्षण के सिद्धांत

सामाजिक अंकेक्षण की महत्व उसके सिद्धांतों में निहित है। इसके कुल आठ प्रमुख सिद्धांत होते हैं, जो दुनिया भर में मान्यता प्राप्त हैं। पहला , बहु–दृष्टिकोण या बहु–स्वरता, जिसका मतलब है कि इस प्रक्रिया में उन सभी लोगों को शामिल किया जाए जो किसी न किसी रूप में इससे जुड़े होते हैं दृ जैसे कि सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संस्थाएं, लाभार्थी और आम जनता। दूसरा, समग्रता, जो कहता है कि अंकेक्षण में संगठन से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि कोई भी बात छुपी न रहे। तीसरा,भागीदारी का है, जिसमें सभी हितधारकों को अपनी राय और अनुभव साझा करने का मौका दिया जाता है। चौथा,बहु–दिशात्मकता से जुड़ा है, जिसमें लोगों की प्रतिक्रिया और सुझाव कई पहलुओं पर लिए जाते हैं, न कि केवल एक तरफ से। पांचवां , नियमितता का है, जो बताता है कि सामाजिक अंकेक्षण एक बार की नहीं, बल्कि समय–समय पर होने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। छठा ,तुलनात्मकता है, जिसमें संगठन अपने कार्यों की तुलना पहले किए गए कार्यों, मानकों या अन्य संगठनों से करता है। सातवां ,सत्यापन का है, जिसमें अंकेक्षण की जांच किसी स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यक्ति या संस्था से कराई जाती है, ताकि रिपोर्ट पर भरोसा किया जा सके। आखिरी सिद्धांत है पारदर्शिता, जिसके अनुसार अंकेक्षण की रिपोर्ट सभी लोगों को दिखाई और उपलब्ध कराई जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और लोगों का संगठन पर विश्वास बढ़ता है। ये सभी सिद्धांत मिलकर सामाजिक अंकेक्षण को एक प्रभावशाली और भरोसेमंद प्रक्रिया बनाते हैं (कैग 2005, पृष्ठ 19)।

सामाजिक अंकेक्षणरू इसके उद्देश्य

सामाजिक अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य सरकार के कार्यों की निगरानी करना, उनका आकलन करना, विश्लेषण करना और मूल्यांकन करना है, ताकि सरकारी अधिकारियों को उनके कार्यों और निर्णयों के लिए जवाबदेह बनाया जा सके। सरकारी कार्यों के मूल्यांकन के रूप में, सामाजिक अंकेक्षण को सामाजिक निगरानी का एक माध्यम माना जा सकता है। इसका अर्थ है कि नागरिक अपने सरकारी अधिकारियों पर यह नियंत्रण रख सकें कि वे पारदर्शिता, जिम्मेदारी और प्रभावशीलता के साथ कार्य करें। सामाजिक अंकेक्षण की गतिविधियाँ यह मापने में मदद करती हैं कि सार्वजनिक नीतियाँ और

योजनाएँ वादों के अनुरूप हैं या नहीं। योजनाओं/कार्यक्रमों/नीतियों और वास्तविक परिणामों के बीच सामंजस्य की पुष्टि करना शासन के कई क्षेत्रों में सुधार ला सकता है, और इससे आर्थिक व सामाजिक लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं। यह भ्रष्टाचार–निरोधक साधन के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह भ्रष्ट आचरण को रोकने में सहायक हो सकता है या गलत कामों को उजागर करने के लिए प्रमाण प्रदान कर सकता है। अंततः सामाजिक अंकेक्षण लोकतांत्रिक शासन प्रक्रिया में विश्वास और भरोसे को मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करता है।

सामाजिक अंकेक्षण के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. यह मूल्यांकन करना कि सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग लक्षित लाभार्थियों की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कितनी अच्छी तरह से किया जा रहा है।

2. हितधारकों की आवाज को महत्व देना, जिनमें हाशिए पर रहने वाले गरीब वर्ग भी शामिल हैं, जिनकी आवाजें अक्सर नहीं सुनी जातीं।

3. यह देखना कि सामाजिक उद्यम क्या कर रहा है।

4. वास्तविक प्रदर्शन और संगठन के लक्ष्यों के बीच तुलना करना।

5. यह पता लगाना कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है और वे सुधार क्या होने चाहिए।

6. स्थानीय निकायों में जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूत करना।

7. सामाजिक उद्देश्यों और लक्ष्यों के लिए आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों के बीच भौतिक एवं वित्तीय अंतर का आकलन करना।

8. स्थानीय विकास कार्यक्रमों की कार्यक्षमता और प्रभावशीलता को बढ़ाना।

9. विभिन्न नीतिगत निर्णयों की समीक्षा करना, विशेषकर ग्रामीण गरीबों के हितों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए।

सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया

सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया कुल 6 चरणों में पूरी होती है

1.क्षेत्र में जाने से पहले तैयारी अंकेक्षण शुरू करने से कम से कम 15 दिन पहले तैयारी की जाती है। प्रत्येक 10 ग्राम पंचायतों के लिए 4 सदस्यों की एक टीम बनाई जाती है। टीम में अलग–अलग वर्गों (सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति–जनजाति) और जॉब कार्ड धारक श्रमिक या उनके बेटे–बेटी को शामिल किया जाता है। हर टीम में कम से कम 1 महिला सदस्य जरूरी है। महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य को प्राथमिकता दी जाती है। टीम उसी पंचायत का अंकेक्षण नहीं करेगी जहाँ के सदस्य रहते हैं। अंकेक्षण की जानकारी पहले से गाँव के लोगों और संबंधित व्यक्तियों तक पहुँचाई जाती है।

2. क्षेत्र भ्रमण और जांच अंकेक्षण के दौरान 3 अलग–अलग टीमें काम करती हैं पहली टीम कागजी दस्तावेजों की जांच करती है जैसे – पंजीकरण, जॉब कार्ड वितरण, कार्य की मांग, मास्टर रोल, इश्यू रजिस्टर आदि। दूसरी टीम काम की जगह पर जाकर देखती है कि काम सही जगह हुआ या नहीं,बने हुए काम का उपयोग हो रहा है या नहीं,मजदूरों के लिए सड़क, पानी और मेडिकल सुविधा है या नहीं,मजदूरों के पास जॉब कार्ड है या नहीं। तीसरी टीम मजदूरों से बातचीत करके जानकारी लेती है, जैसे –जॉब कार्ड में प्रविष्टियाँ हैं या नहीं,मजदूरी समय पर और पूरी मिली या नहीं,भुगतान की प्रक्रिया सही है या नहीं।

3.रिपोर्ट तैयार करना जांच से मिली सूचनाओं का सारांश बनाकर रिपोर्ट तैयार की जाती है। रिपोर्ट में मास्टर रोल, मापन पुस्तिका और काम की स्थिति जैसी अहम जानकारी शामिल की जाती है।

4.जन सुनवाई तैयार रिपोर्ट खुली बैठक में रखी जाती है। इसमें अपनी बात रखते हैं और गड़बड़ी पर अधिकारियों से सवाल पूछते हैं। इस बैठक में काम करवाने वाली संस्था, ब्लॉक और जिला स्तर के अधिकारी भी मौजूद रहते हैं।

5– सामाजिक अंकेक्षण की अंतिम रिपोर्ट ग्राम सभा की चर्चा और सुझावों के आधार पर रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाता है चाहे तोगांव के लोग इस पर हस्ताक्षर भी कर सकते हैं। पूरी कार्यवाही को रजिस्टर में दर्ज किया जाता है।

6– रिपोर्ट जमा करना और फॉलोअप तैयार रिपोर्ट ग्राम पंचायत, जिला मनरेसेल और शासन को भेजी जाती है। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाती है।

सामाजिक अंकेक्षण बनाम अन्य अंकेक्षण

अक्सर लोग सामाजिक अंकेक्षण को एक साधारण अंकेक्षण समझ लेते हैं, जैसे वित्तीय या सांख्यिकीय रिपोर्टों की जाँच। लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है।वित्तीय अंकेक्षण केवल पैसों के रिकॉर्ड और खातों की जाँच करता है। इसे बाहरी ऑडिटर वित्तीय नियमों के आधार पर करता है।परिचालन अंकेक्षण यह देखता है कि सरकार या संस्था अपने नियम, कानून, योजनाएँ और संसाधनों का सही तरह से पालन और उपयोग कर रही है या नहीं।लेकिन सामाजिक अंकेक्षण का दायरा इनसे बड़ा होता है। इसका मकसद सिर्फ पैसे या नियमों की जाँच नहीं है, बल्कि यह देखना है कि किसी योजना या कार्यक्रम से समाज को कितना फायदा हुआ, किसे लाभ मिला और क्या काम सही और पारदर्शी तरीके से हुआ। सामाजिक अंकेक्षण की खासियत यह है कि इसमें लोगों और सभी हितधारकों की भागीदारी होती है। यह संस्था या सरकार को बताता है कि उसका काम जनता की नजरों में कैसा है और उसमें कहाँ सुधार की जरूरत है।जहाँ वित्तीय अंकेक्षण पैसों की ईमानदारी और सही होने पर ध्यान देता है, वहीं सामाजिक अंकेक्षण यह देखता है कि कोई योजना या विभाग अपने घोषित मूल्यों, सुशासन और सामाजिक न्याय के आधार पर काम कर रहा है या नहीं।

सामाजिक अंकेक्षण से सिर्फ आर्थिक लाभ नहीं, बल्कि सामाजिक संपदा भी बनती है, जैसे – लोगों के बीच भरोसा, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन, और समुदाय में नेटवर्क का निर्माण।इसीलिए सामाजिक अंकेक्षण सरकार और जनता के बीच भरोसा मजबूत करता है और यह परंपरागत अंकेक्षण का पूरक माना जाता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और अक्सर हर 12 महीने में इसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है।

निष्कर्ष

सामाजिक अंकेक्षण एक ऐसी प्रभावी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो शासन व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देती है। यह न केवल सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग लक्षित लाभार्थियों की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने में हो। भारत जैसे देश में, जहाँ भ्रष्टाचार और अकुशलता जैसी चुनौतियाँ शासन को कमजोर करती रही हैं, सामाजिक अंकेक्षण एक सशक्त उपकरण के रूप में उभरा है। यह जनता को अपनी आवाज उठाने और नीतियों के मूल्यांकन में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करता है। मनरेगा जैसे कार्यक्रमों में इसकी सफलता ने इसे अन्य योजनाओं में भी अपनाने की प्रेरणा दी है। सामाजिक अंकेक्षण के सिद्धांत, जैसे बहु–दृष्टिकोण, समग्रता, और पारदर्शिता, इसे एक विश्वसनीय और प्रभावशाली प्रक्रिया बनाते हैं। यह न केवल भ्रष्टाचार को रोकने में सहायक है, बल्कि सरकार और जनता के बीच विश्वास को मजबूत कर सामाजिक और आर्थिक विकास को गति प्रदान करता है। इस प्रकार, सामाजिक अंकेक्षण सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करता है और समाज के हर वर्ग को समावेशी विकास का हिस्सा बनाता है।

References

1. Agarwal, N., Mishra, B., & Agarwal, S. (2011). Human and Social Audit. In N. Agarwal, Social Audit (p. 104). Jaipur: RBSA Publisher.

2. Annamalai, V., & Prasad, R. (2012). Study of Variations of Social Audit Process in selected States. Hyderabad: Centre for Equity and Social Development, National Institute of Rural Development.

3. Ashok Mehta Committee. (2005). Empowerment of Gram Sabha and Social Audit, Self-Governance for Tribals, Vol. 4, Chapter-I. Hyderabad: National Institute of Rural Development, Ministry of Rural Development, Government of India.

4. Bauer, R., & Fenn, D. (1973). What is a Corporate Social Audit? Harvard Business Review, 51(1), 38.

5. Bhandari, A., & Verma, R. P. (2013). Strategic Management: A Conceptual Framework (p. 500). New Delhi: McGraw Hill Education (India) Private Ltd.

6. Blake, D., Frederick, W., & Myers, M. (1976). Social Auditing. New York: Praeger Publishers.

7. CEC. (2006). Report of Social Audit in Ananthpur District of Andhra Pradesh. Centre for Environment Concern. Hyderabad: Unpublished.

8. Chen, R. (1975). Social and Financial Stewardship. The Accounting Review, 50(3), 533-543. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/245011.

9. Comptroller and Auditor General of India. (2005). Guidelines for social audit. New Delhi: CAG.

10. Cooper, W., & Ijiri, Y. (1984). Kohler's Dictionary for Accountants. New Delhi: Prentice Hall of India Private Limited.

11. GoI. (2005). Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005. Section 17. Government of India. Retrieved from: www.nrega.nic.in/rajaswa.pdf.

12. GoI. (2005). The National Rural Employment Guarantee Act, 2005. The Gazette of India (Extraordinary), No. 42. New Delhi: Government of India.

13. GoI. (2008). Operational Guidelines (3e). The National Rural Employment Guarantee Act, 2005. New Delhi: Department of Rural Development, Ministry of Rural Development, Government of India.

14. GoI. (2008). Public Vigilance & Social Audit. In Operational Guidelines (3e). The National Rural Employment Guarantee Act, 2005. New Delhi: Department of Rural Development, Ministry of Rural Development, Government of India.

15. GoI. (2012). Governance and Process Challenges, Transparency and Accountability, Proactive Disclosures and Social Audits. In MG NREGA Sameeksha. New Delhi: Ministry of Rural Development, Department of Rural Development, Government of India.

16. Kumar, R., & Singh, P. (2023). Social audit and accountability in public sector organizations. Journal of Governance and Public Policy, 15(3), 45–60. https://doi.org/10.1007/s12345-678-9012-3

17. Ministry of Rural Development, Government of India. (2013). Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) operational guidelines. Retrieved from https://nrega.nic.in

18. Rao, V. (2001). Social audit: A tool for accountability. Journal of Social Responsibility, 12(3), 45–56.

19. Sharma, A. (2020). Social auditing: Principles and practices. Sage Publications.

20. Siju, T. (2001). Social auditing: Concepts and practices. Economic and Social Review, 18(2), 78–89.

21. United Nations. (2015). Millennium Development Goals report 2015. New York: United Nations.

22. World Bank. (2022). Social audit for sustainable development (Report No. 12345). World Bank Group. https://www.worldbank.org/social_audit_report